

कार्यालय नगर परिषद कैलारस जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक/निर्माण/2026/1313

कैलारस, दिनांक 21/04/2026

//ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा केन्द्रीयकृत प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस निकाय द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का आई.एस.एस.आर दिनांक 08 नवम्बर 2025 से प्रभावशील एवं आज दिनांक तक संशोधन सहित प्रपत्र अ एव प्रतिशत दरों के आधार पर ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की गयी है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्य का विवरण	ऑनलाइन टेण्डर न.	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की समयावधि
1	विशेष निधि मद अंतर्गत वार्ड क्र. 01 एवं 02 में कालीपुरम से गांधी मार्ग तक जी. आई पाईप लाईन डालने का कार्य ।	2026-04D-501946-1	12.69 लाख	9533/-	2000/-	03 माह

शर्त:-

- इच्छुक ठेकेदार विस्तृत निविदा सूचना विभाग की वेबसाइट एवं ई निविदा वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देख सकते हैं।
- निविदा प्रपत्र ऑनलाइन प्रकाशन दिनांक से 22/05/2026 सांय 05:30 तक कय किये जा सकते हैं।
- निविदा दर ऑफर ऑनलाइन दिनांक 22/05/2026 सांय 05:30 तक प्रस्तुत की जा सकती है।
- निविदा दिनांक 25/05/2026 को खोली जावेगी।
- निविदा हेतु लोक निर्माण विभाग के जीवित पंजीयन की प्रति, जीएसटी की प्रति, पेनकार्ड, 200 रुपये का शपथपत्र एवं अमानत राशि की प्रति निविदा के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- निविदा में किया कोई भी संशोधन वेबसाइट पर ही किया जावेगा। जिसका समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं कराया जावेगा।
- शासन से राशि प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा। इसमें ठेकेदार का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- उक्त निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाणपत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. पत्र क्रमांक 4311/940442/2022 दिनांक 03/11/2022 के अनुसार ठेकेदार को जी.एस.टी. देय होगी।
- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-10-17/2020/8-20 भोपाल दिनांक 27.11.2022 में प्रकाशित दर निविदा प्रपत्र अपेन्डिकस 2.10 में किये गये संशोधन मान्य होंगे।
- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक यां/प्र./07-03/2021/1073 दिनांक 05/02/2021 अनुसार निविदा के लिफाफा A एवं B को फिजीकल फॉर्म में जमा नहीं किये जायेंगे केवल ऑनलाईन लिफाफे ही मान्य होंगे।
- सीमेन्ट कॉक्रीट कार्य के सैम्पल की टेस्टिंग शासकीय एवं NABL प्रयोगशाला में सीमेन्ट कॉक्रीट की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा।
- 10 प्रतिशत के कम निविदा दर देने की स्थिति में शासन का पत्र क्र./एफ-237/2024/18-2 दिनांक 06.09.2024 अनवर्कैवल रेट सर्कूलर प्रभावी रहेगा।

14. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित आवृत्ति में मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर कराना होगी।
15. निर्माण कार्यों के संबंध में समय-समय पर शासन के प्राप्त निर्देश ठेकेदारको मान्य होंगें।
16. भुगतान संस्था की वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जावेगा।
17. कॉन्ट्रैक्ट राशि पर 03 प्रतिशत राशि परफारमेंस सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में अनुबंध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
18. उक्त निविदा को अनुबंध सम्पादन पूर्व किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार निकाय का होगा। जिसमें ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. निविदा दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप 05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ठेकेदार से उक्त पंजीजन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीजन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

(अंजना ब्रजेश बंसल)
(अध्यक्ष)
नगर परिषद कैलारस

(ऐश्वर्य गोयल)
उपयंत्री
नगर परिषद कैलारस


(रामप्रकाश जगनेरिया)
मुख्य नगरपालिकाअधिकारी
नगर परिषद कैलारस
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद कैलारस (मुरैजा) ज.प्र.